वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 04.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 04.02.2025

अवैध निर्माण कराने में 14 पर केस

वाराणसी। वीडीए की ओर से अवैध निर्माण पर सोमवार को आठ थाना क्षेत्रों में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार चौबेपुर थाने में 5, लालपुर में 1, लंका में 2, रामनगर में 1, कोतवाली में 1, चौक में 2, रोहनिया में 1, सिगरा थाने में 1 एफआईआर दर्ज कराई गई। कहा कि अनधिकृत निर्माण करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जनवरी में 41 अवैध निर्माण सील किए गए। 12 स्थानों पर 22 हेक्टेयर जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो

तीन अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से सोमवार को तीन अवैध निर्माण सील किए गए और निर्माण करने वालों को नोटिस दी गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार सिकरौल, शिवपुर वार्ड के तरना यमुना नगर कॉलोनी का निरीक्षण किया गया। यहां विनीत बरनवाल की ओर से बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराया जा रहा था। शिवपुर दासेपुर उड़िया बाबा स्कूल के आगे आकाश कुमार गौड़ की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। सिकरौल के मीरापुर बसहीं सिंधोरा रोड पर सुरेंद्र जायसवाल की ओर से बेसमेंट में दुकान का संचालन किया जा रहा था। सभी को सील किया गया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 04.02.2025

वीडीए ने लगवाए दो रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड

वाराणसी। वीडीए के सीमा विस्तार के बाद 2 रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए गए। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार 5 रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाने हैं। इनमें से 2 बोर्ड स्थापित किए जा चुके हैं। भदोही और प्रयागराज रोड पर बोर्ड लगाए गए। चंदौली रोड, मिर्जापुर रोड और बलुआ घाट रोड पर लगेंगे। इसमें प्रमुख स्थलों जैसे कैंट रेलवे स्टेशन, विश्वनाथ मंदिर, एयरपोर्ट, सारनाथ तथा लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज आदि की दूरी अंकित की गई है। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 04.02.2025

अवैध निर्माण करने वाले 14 लोगों पर केस

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अब बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण करने और प्लाटिंग करने पर मात्र ध्वस्त करने की ही कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी होगी। विकास प्राधिकरण ने ऐसे 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

विकास प्राधिकरण ने जनवरी माह में अवैध निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 41 अवैध निर्माणों को मौके पर सील कर दिया गया। उन्हें पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। 12 स्थानों पर की जा रही 22 हेक्टेयर अवैध प्लाटिंग को मौके पर ध्वस्त किया गया। 14 अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न थानों में प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज कराई गई। इसमें सर्वाधिक पांच मुकदमें चौबेपुर थाने में दर्ज किए गए। इसके अलावा लंका, चौक में दो-दो, लालपुर, रामनगर, कोतवाली, रोहनिया और सिगरा में एक-एक मुकदमा दर्ज किया गया।

शिवपुर और तरना क्षेत्र में तीन निर्माण सील

वाराणसी : विकास प्राधिकरण के जोन-1 वार्ड-सिकरौल, शिवपुर के तरना क्षेत्र में सोमवार को एक बेसमेंट समेत तीन अवैध निर्माण कार्य सील किए गए। बिना मानचित्र स्वीकृत हो निर्माण के खिलाफ अभियान के क्रम में वीडीए की टीम ने कई स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान वार्ड-शिवपुर में तरना में विनीत बरनवाल बड़ा और तीन तल का निर्माण करा रहे थे। निर्माण को बंद कराते हुए स्थल को सील कर दिया गया। इसी प्रकार दासेपुर, उडिया बाबा स्कूल के आगे के अंतर्गत आकाश कुमार गौड बेसमेंट की छत डालकर भूतल पर दीवार व पिलर का निर्माण को सील कर दिया। मीरापुर बसही, सिंधोरा रोड के अंतर्गत सुरेन्द्र जायसवाल पूर्व निर्मित एवं अध्यासित भवन के भूतल पर दुकान का संचालन किया जा रहा था। बेसमेंट के दुकान के संचालन को रोकते हुए सील कर दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा अवर अभियंता विजय सिंह, प्रिया अग्रहरी उपस्थित रहीं।

आज–दि0 04.02.2025

बढ़े हुए सीमा पर विप्रा लगायेगी बोर्ड

विकास प्राधिकरण सीमा विस्तार के बाद पांच स्थानों पर बोड लगाते हुए यात्रियों को जानकारी देगा। इसमें दो स्थानों प्रयागराज और भदोही मार्ग पर बोड लग चुका है जबकि तीन मार्ग पर बोड शीघ्र लगाया जायेगा। जिन स्थानों पर फाउंडेशन कार्य हो चुका है उसमें चन्दौली, मिर्जापुर रोड और बलुआ घाट पर बोड लगाये जायेगे। बोड पर कैण्ट स्टेशन, बस अड्डा, काशी विश्वनाथ मदिर, हवाई अड्डा, सारनाथ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज की दूरी अंकित होगा इसके अलावा उक्त मार्गो पर जाने के लिए संकेत के निशान होगें।

आज–दि0 04.02.2025

अवैध निर्माण पर १४ भवन स्वामियों के विरुद्ध प्राथमिकी

विप्रा उपाधयक्ष के निर्देश पर बिना मानचित्र स्वीकृत के १४ भवन स्वामियों के विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। अभी तक चौबेपुर पाचए लालपुर पाचए लका दो, रामनगर में एक, कोतवाली एक, चौक दो , रोहनिया एक और सिगरा थाने में एक भवन स्वामी खिलाफ काररवाई होगी। ४१ अवैध निर्माण पर भवन स्वामियों के साथ कार्वाई करते हुए समबन्धित थाने के अभिरक्षा में सौप दिया गया है। एक दर्जन स्थानो पर २२ हेक्टेयर भूमि पर हुए अवैध प्लाटिग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण काररवाई हुई है। विप्रा उपाध्यक्ष ने बताया कि अब नियम विरुद्ध निर्माण कार्य या प्लाटिग होने पर रामबन्धित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कारवाई होगी।

हिन्दुस्तान–दि0 04.02.2025

छह अवैध निर्माणों पर की कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को छह अवैध निर्माण कार्रवाई की। शिवपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए दो मंजिल भवन को सील किया गया। वार्ड के दासेपुर में उड़िया बाबा स्कूल के पास 278 वर्गमीटर में ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कराने पर कार्रवाई हुई। सिकरौल वार्ड के मीरापुर बसही में दो मंजिल भवन में बेसमेंट में दुकान संचालित करने पर निर्माण सील किया गया।

इसी वार्ड के तरना क्षेत्र में यमुना नगर कॉलोनी में तीन अवैध निर्माण सील किए गए। कार्यवाही में जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, जेई विजय सिंह, प्रिय अग्रहरी मौजूद रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि0 04.02.2025

वीडीए द्वारा सीमा विस्तार के उपरांत रेट्रो रेफ्लेक्टिव बोर्ड लगाये गये

वाराणसी। वारापसी विकास प्राधिकरण द्वारा सीमा विस्तार के उपरांत विभिन्न प्रमुख मार्गो पर रेट्रो रेफ्लेक्टिव नए बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। इस कार्य के अंतर्गत कुल 05 रेट्रो रेफ्लेक्टिव बोर्ड लगाने का लक्ष्य है, जिनमे से 02 बोर्ड स्थापित किए जा चुके है। इन बोर्डो की स्थापना निम्नलिखित स्थानो पर की गई है:भदोही रोड पर (ô100 फीट प्रयागराज रोड पर (ô120 फीट इसके अतिरिक्त, अन्य तीन स्थानो पर बोर्ड लगाने के लिए फाउंडेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ये स्थान है:चंदौली रोड मिर्जापुर रोड बलुआ घाट रोड इन बोर्डो पर प्राधिकरण सीमा मे प्रवेश हेतु ह'वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र मे आपका स्वागत है' और प्राधिकरण सीमा से बाहर जाने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आगमन के लिए धन्यवाद' लिखा गया है। वाराणसी शहर मे आगंतुकों की सुविधा हेतु प्रमुख स्थलो जैसे कैंट रेलवे स्टेशन, विश्वनाथ मंदिर, एयरपोर्ट, सारनाथ तथा लखनऊ, दिल्ली, कानपूर, प्रयागराज आदि की दूरी अंकित की गयी है। यह पहल शहर में आगंतुको के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करेगी और उन्हें वाराणसी के प्रमुख स्थलों तक पहुँचने में सहूलियत मिलेगी।

न्यायाधीश—दि0 04.02.2025

वीडीए द्वारा 14 अवैध निर्माणकर्ता के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा 14 अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया है। अनधिकृत निर्माण करने वालो के विरूद्ध व्यापक अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। अवैध निर्माण के विरुद्ध मुख्यतः निम्नवत् कार्यवाही की गयी है-अवैध निर्माणों पर सील की कार्रवाई:ड कुल 41 अवैध निर्माणों को मौके पर सील कराते हुए संबंधित थाने की पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया।अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण: 12 स्थानों पर की जा रही 22 हेक्टेयर अवैध प्लाटिंग को मौके पर ध्वस्त किया गया।एफआईआर दर्ज:14 अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न थानों में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई। एफआईआर निम्नलिखित थानों में दर्ज की गई है:थाना-चौबेपुर: 05 थाना-लालपुर: 01 थाना-लंका: 02 थाना-रामनगर: 01थाना-कोतवाली: 01 थाना-चौक: 02 थाना-रोहनिया: 01 थाना-सिगरा: 01वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग द्वारा निर्देशित किया गया है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्रभावी कार्यवाही की जाएगी जिससे होने वाली किसी भी क्षति के लिए अवैध निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।